अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या :- /2019

अपीलांट — **बनाम** — **रेस्पोन्डेन्टस**

अपीलांट

1. नारायणी पत्नि नारायणलाल
2. पवन पुत्र नारायणलाल
3. ज्योति पुत्री नारायणलाल

पवन व ज्योति नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता नारायणी पत्नि नारायणलाल जाति पालीवाल निवासी बाप तह0 बाप जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोन्डेन्टस

1. सरपंच ग्राम पंचायत, बाप
2. बिहारीलाल पुत्र लूणकरण
3. जसराज पुत्र लूणकरण
4. मंजू पत्नि वासुदेव
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र वासुदेव
6. तनसुख पुत्र वासुदेव

सर्वजाति पालीवाल नि0 बाप तहसील बाप जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2934 मौजा बाप

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. रेस्पोन्डेन्टस की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक :- 23/04/2019

अपीलांटस ने जरिये अधिवक्ता अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस 1 ता 3 तथा रेस्पोन्डेन्टस संख्या 2 ता 6 की संयुक्त खातेदारी की कब्जा सुदा पुश्तेनी कृषि भूमि ग्राम बाप के खसरा नम्बर 1665 रकबा 3-12 बीघा, खसरा नम्बर 1666 रकबा 60-18 बीघा, खसरा नम्बर 1667 रकबा 11-11 बीघा, खसरा नम्बर 1668 रकबा 102-04 बीघा व खसरा नम्बर 1669 रकबा 5-00 बीघा भूमि स्थित है। जिसमे रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बिहारीलाल पुत्र लूणकरण को 1/4 हिस्सा, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 जसराज पुत्र लूणकरण को 1/4 हिस्सा, रेस्पोन्डेन्टस संख्या 4 से 6 मंजू पत्नि वासुदेव, राजेन्द्र कुमार व तनसुख पिसरान वासुदेव को सामलाती 1/4 हिस्सा व अपीलांट 1 ता 3 को संयुक्त से 1/4 हिस्सा भूमि बंट मे आती है। दिनांक 18-08-2016 को अपीलांट्स के पूर्वज नारायणलाल पुत्र लूणकरण के फौत होने पर मुतवफी नारायणलाल का विरासत नामान्तरकरण अपीलांट्स के पक्ष मे भरा

उप खण्ड अधिकारी बाप

Scanned by CamScanner

गया। हल्का पटवारी द्वारा उक्त विरासत नामान्तरकरण भरते समय लापरवाही करते हुए नारायणी पत्नि नारायणलाल, पवन पि. नारायणलाल व ज्योति पुत्री नारायणलाल दर्ज करने के स्थान पर अपीलांट संख्या 1 के ससुर व अपीलांटस संख्या 2 व 3 के दादा लूणकरण का नाम त्रुटिवश अंकित करते हुए नारायणी बेवा लूणकरण व पवन पुत्र लूणकरण व ज्योति पुत्री लूणकरण नाम से नामान्तरकरण संख्या 2934 भर दिया जिसे भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा बिना किसी सरसरी जांच किये तथा ग्राम पंचायत बाप द्वारा लापरवाही पूर्वक स्वीकृत कर दिया गया जो सरासर गलत व विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज के है। अपील के साथ नकल नामान्तरकरण संख्या 2934 मौजा बाप सरपंच ग्राम पंचायत बाप द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि पेश किये तथा अपील के अन्त मे यह निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 2934 मौजा बाप को अपास्त किया जाकर उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अपीलांटस को नारायणी पत्नि नारायणलाल, पवन पुत्र नारायणलाल व ज्योति पुत्री नारायणलाल संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश कर अपील पेश करने मे हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटस की तलबी जरिये समन की गई। रेस्पोडेंटस की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने से रेस्पोडेंटस के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि अपीलांट के नाम नारायणी पत्नि लूणकरण, पवन पुत्र लूणकरण व ज्योति पुत्री लूणकरण नामान्तरकरण संख्या 2934 मे गलत दर्ज कर दिये जबकि अपीलांट के वास्तविक नाम नारायणी पत्नि नारायणलाल, पवन पुत्र नारायणलाल व ज्योति पुत्री नारायणलाल दर्ज होने चाहिऐ थे। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 2934 गलत व विधि विरूद्ध भरा गया है जिसे निरस्त कर अपीलांट के सही नाम दर्ज किये जावे। अपील अपीलांट अन्दर म्याद पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाने का निवेदन किया।

वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 1665 रकबा 3-12 बीघा, खसरा नम्बर 1666 रकबा 60-18 बीघा, खसरा नम्बर 1667 रकबा 11-11 बीघा, खसरा नम्बर 1668 रकबा 102-04 बीघा व खसरा नम्बर 1669 रकबा 5-00 बीघा रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम 1/4 हिस्सा, रेस्पोडेंट सख्या 3 के नाम 1/4 हिस्सा, रेस्पोडेंट्स संख्या 4 से 6 के नाम 1/4 हिस्सा तथा अपीलांटस के पूर्वज नारायणलाल पुत्र लूणकरण के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज

उप खण्ड अधिकारी बाप

Scanned by CamScanner

थी जो कि जमाबंदी संवत 2070-2073 से साबित है। नामान्तरकरण संख्या 2934 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलांट्स के पति एवं पिता का फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय अपीलांट्स के नाम नारायणी पत्नि नारायणलाल, पवन पुत्र नारायणलाल व ज्योति पुत्री नारायणलाल के स्थान पर त्रुटिपूर्ण रूप से नारायणी बेवा लूणकरण, पवन पुत्र लूणकरण व ज्योति पुत्री लूणकरण नाम दर्ज करते हुए नामान्तरकरण संख्या 2934 भर कर स्वीकृत कर दिया गया जो गलत है जो कि अपील के साथ संलग्न दस्तावेजात से साबित है। अपीलांट्स नामान्तरकरण संख्या 2934 मौजा बाप को खारिज करवाकर नारायणी पत्नि नारायणलाल, पवन पुत्र नारायणलाल व ज्योति पुत्री नारायणलाल नाम से नामान्तरकरण भरवाने के अधिकारी है।

अपील के साथ प्रस्तुत म्याद का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का अवलोकन करने पर पाया कि अपील अन्दर म्याद पेश हुई है अतः म्याद का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलांट्स ने अपील को सही साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किये है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। नामान्तरकरण संख्या 2934 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण संख्या 2934 मौजा बाप को निरस्त किया जाता है राजस्व ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 1665 रकबा 3-12 बीघा, खसरा नम्बर 1666 रकबा 60-18 बीघा, खसरा नम्बर 1667 रकबा 11-11 बीघा, खसरा नम्बर 1668 रकबा 102-04 बीघा व खसरा नम्बर 1669 रकबा 5-00 बीघा के पूर्व खातेदार नारायणलाल पुत्र लूणकरण का फौतेदगी नामान्तरकरण नारायणलाल के विधिक वारिसान (अपीलांट्स) के नाम नये सिरे से भरे जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। माफिक आदेश पालना हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/04/2019. खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी बाप
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बाप जोधपुर